आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-24/09/2009
परीक्षा दिनांक- स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-3 के लिए 10/10/2009
आदेशिका वाहक एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले उम्मीदवारों के लिए- 11/10/2009
स्थान - जिला न्यायालय परिसर अम्बिकापुर (सरगुजा)

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.

संशोधित विज्ञापन

क्रमांक: /दो-11-1/05 अम्बिकापुर, दिनांक 24/08/2009

कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर स्थापना में **स्टेनोग्राफर के 01 (एक) पद, सहायक ग्रेड-3 के 01 (एक) पद, आदेशिका वाहक के 01(एक) पद एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले- फर्रास, चौकीदार एवं स्वीपर प्रत्येक के एक-एक** रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जानी है। अत: अर्हता प्राप्त इच्छुक उम्मीदवारों से जो भारत के नागरिक हों, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो इस कार्यालय को दिनांक 24/09/2009 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
1	स्टेनोग्राफर	01	01	-	-	-
2	सहायक ग्रेड-3	01	01	-	-	-
3	आदेशिका वाहक	01	01	-	-	-

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले- फर्रास, चौकीदार एवं स्वीपर (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग
1	फर्रास	01	01	-	-	-
2	चौकीदार	01	-	-	-	01
3	स्वीपर	01	-	01	-	-

(अ) उपरोक्त पदों का वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता:-

01. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिये:-

वेतनमान : 5200-20200 ग्रेड पे 2800

शैक्षणिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण।

02. <u>सहायक ग्रेड-3 पद के लिये</u>:-

वेतनमान : 5200-20200 ग्रेड पे 1900

शैक्षणिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण।

03. <u>आदेशिका वाहक के पद के लिये</u>:-

वेतनमान : 5200-20200 ग्रेड पे 1800

शैक्षणिक योग्यता : आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

04. <u>आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले (फर्रास, चौकीदार, स्वीपर)</u>:-

वेतनमान : कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर।

शैक्षणिक योग्यता : पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ब) आयु सीमा :-

1. दिनांक 24 सितम्बर 2009 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी:-

   (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा से अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

   (b) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-/एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

   (c) ऐसी अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसे परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(d) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(e) महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(f) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक- एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06. 2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गो को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(g) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(h) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(i) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(j) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(k) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(l) ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक चाहे वह राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारी हों या कार्यभारित अथवा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी हों 38 वर्ष से अधिक आयु का न हो।